बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या – 15/औ0–14–12/14 ..../स्वा0, पटना, दिनांक – ....

विभागीय अधिसूचना संख्या – 704(15)/स्वा0 दिनांक – 29.06.2016 के द्वारा क्रमांक –100 पर स्थानान्तरित मो0 अबुल कलाम, औषधि निरीक्षक के द्वारा वर्ष 2013 में समर्पित त्यागपत्र के आलोक में इनके स्थानान्तरण संबंधी आदेश को विलोपित किया जाता है।

2. अधिसूचना संख्या – 704(15)/स्वा0 दिनांक – 29.06.2016 के क्रमांक – 73 पर अंकित श्री अशोक कुमार आर्य, औषधि निरीक्षक, पटना – 06 के कार्यक्षेत्र को निम्नवत् संशोधित किया जाता है–

उत्तर – गंगा किनारा।

दक्षिण – बारीपथ का उत्तरी किनारा।

पश्चिम – मखनियाँ कुआँ रोड का पूर्वी किनारा।

पूरब – पटना नगर निगम क्षेत्र का पूर्वी किनारा।

3. मधुबनी जिला में पदस्थापित औषधि निरीक्षक श्री सुनील कुमार (गृह जिला नालंदा) को औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 की धारा 21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत औषधि निरीक्षक, सीतामढ़ी – 02 (पुपरी एवं बेलसंड अनुमंडल) के पद पर कार्य करने हेतु स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है।

4. औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 की धारा – 21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मधुबनी जिला में पदस्थापित निम्नांकित औषधि निरीक्षकों को निम्नवत् कार्यक्षेत्र आवंटित किया जाता है–

I. श्री मनोज कुमार दास – मधुबनी अनुमंडल के मधुबनी नगर परिषद् क्षेत्र छोड़कर शेष ग्रमीण क्षेत्र।

II. श्री हरि नारायण सहनी – मधुबनी अनुमंडल का नगर परिषद् क्षेत्र।

III. मो0 वसीम अख्तर – जयनगर अनुमंडल का क्षेत्र।

5. औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 की धारा – 21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती सुनीता प्रसाद, औषधि निरीक्षक, नवादा – 02 को स्थानान्तरित करते हुए मधेपुरा – 02 (उदा किशनगंज अनुमंडल) के पद पर तथा श्रीमती अनीता कुमारी, औषधि निरीक्षक, मधेपुरा – 02 को स्थानान्तरित करते हुए औषधि निरीक्षक, नवादा – 02 (रजौली, अकबरपुर, गोविन्दपुर, सिरदला नरहट, मेसकौर एवं रोह प्रखंड) के पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन दोनों औषधि निरीक्षको का स्थानान्तरण इनके अनुरोध पर किया गया है। अतः इन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

6. औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 की धारा – 21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिवहर जिला में पदस्थापित औषधि निरीक्षक श्री राजीव रंजन को अपने कार्य के अतिरिक्त उक्त जिला के एक अन्य औषधि निरीक्षक के स्थानान्तरण से हुए रिक्त पद (शिवहर एवं पिपराही प्रखंड) का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

सभी अधिसूचित पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर योगदान कर मुख्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-
अवर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक – 15/औ0–14–12/14 ..../स्वा0, पटना, दिनांक – ....
प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना – 7 को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक – 15/औ0–14–12/14 ..../स्वा0, पटना, दिनांक – ....
प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/अपर सचिव, स्वास्थ्य के आशुलिपिक /सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी संयुक्त खाद्य एव औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ,पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी सिविल सर्जन/सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा – 15, स्वास्थ्य विभाग/सभी संबंधित कार्यकारी सहायक औषधि नियंत्रक/सभी संबंधित औषधि निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक – 15/औ0–14–12/14 ...1196(15)/स्वा0, पटना, दिनांक – 26/11/16
प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना